छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

ब्लॉक 3सी/1, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

<u>अधिसूचना</u>

नया रायपुर, दिनांक 18/10/2017

क्रमांक 58 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" होगा।

(ii) "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" के तहत चावड़ी में यूनिट के पास एकत्रित होने वाले निर्माण श्रमिकों को गर्म भोजन वितरित किया जावेगा।

(iii) गरम भोजन से तात्पर्य–

(a) पका हुआ चावल, दाल, सब्जी अथवा खिचड़ी, फ्राई दाल, सब्जी अथवा जीरा चावल, फ्राई दाल, सब्जी।

(b) भोजन के साथ अचार भी देय होगा।

(iv) योजना प्रदेश में प्रथम चरण में 11 जिले लगभग 60000 श्रमिको हेतु 30 केन्द्र कमशः रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, कोरिया, कवर्धा, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं रायगढ़ जिले में प्रारंभ किया जाना है।

(v) योजना के प्रावधान मण्डल के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

) योजना का विस्तार–

वर्तमान में यह योजना 11 जिले में 30 यूनिट के रूप में प्रारंभ की जावेगी, किन्तु इस योजना का विस्तार समस्त प्रदेश में किया जावेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर यूनिट की संख्या में भी वृद्धि की जावेगी।

(ग) प्रक्रिया–

(i) (अ) "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना"के यूनिट संचालन हेतु विभाग द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण तथा यूनिट संचालन के कार्य का टेण्डर एवं आबंटन किया जायेगा।

(ब) प्रत्येक यूनिट हेतु निःशुल्क स्थल एवं शेड विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

(स) बिजली, पानी जैसे नियमित होने वाले व्यय सम्बन्धित संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।

(द) टेण्डर में उल्लेखित शर्तों का पालन करना टेण्डर प्राप्त करने वाले संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।

(ii) श्रमिकों को यूनिट में ही भोजन खिलाया जायेगा, यदि कोई श्रमिक चाहे तो अपने टिफिन में भोजन लेकर जा सकता है।

(द) पात्रता–

(i) श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हों, को लाभ की पात्रता होगी।

(ii) यदि कोई निर्माण श्रमिक है, किन्तु उनका पंजीयन नहीं हुआ है, तो वो भी श्रमिक पात्र होंगे, परन्तु उन्हें भी संबंधित मंडल में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

ई) व्यय–

योजना से संबंधित यूनिट में यदि निर्माण श्रमिक के अलावा असंगठित श्रमिक एवं संगठित श्रमिक भोजन ग्रहण करते है तो उनका भुगतान सम्बन्धित मण्डल द्वारा देय होगा। निर्माण श्रमिकों के लिए भुगतान छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

) शुल्क–

(i) "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना"के तहत् रूपये 5/– के कूपन में 200 ग्राम पका हुआ चावल, 50 ग्राम दाल एवं 50 ग्राम सब्जी तथा 10 ग्राम अचार अथवा खिचड़ी (200 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी) एवं 10 ग्राम अचार अथवा 200 ग्राम जीरा चावल, 50 ग्राम सब्जी, 50 ग्राम फ्राई दाल एवं 10 ग्राम आचार देय होगा।

(ii) प्रति श्रमिक शुल्क काउंटर से रूपये 5/— जमा कर कूपन प्राप्त करेंगे, जिसे भोजन काउंटर पर जमा करने पर भोजन देय होगा।

(य) योजना का संचालन/पर्यवेक्षण

(1) "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" का संचालन श्रम विभाग द्वारा अधिकृत संस्थान द्वारा किया जावेगा एवं जिला श्रम कार्यालय का यह दायित्व होगा, कि उनके जिले में चल रहे "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" यूनिट में हितग्राहियों की निगरानी करेंगे।

(2) भोजन की गुणवत्ता— भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थान, श्रम विभाग अथवा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा ही भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण किया जावेगा।

(र) विसंगति का निराकरण—
योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 18

पृ0क0 / /2337-2346

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंड नया रायपुर (छ0ग0)
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रा (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर
5. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी — (छ0ग0)
6. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)

7. एनआईसी शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
8. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर